।। ॐ नमः शिवाय ।।

श्रीअमरनाथ श्राईन बोर्ड और उस पर छिड़ा विवाद

जम्मू–कश्मीर के सुरम्य पर्वत श्रृंखला में 13500 फुट की ऊंचाई पर अनादि काल से भगवान शिव हिमलिंग के रूप में श्रीअमरनाथ गुफा में विराजमान हैं। श्रावन मास की पूर्णिमा को इसके दर्शन करने का महत्व है क्योंकि इस स्थान पर भगवान शंकर ने माता पार्वती को भगवान राम के पावन चरित्र की अमर कथा सुनाई थी। इसलिए यहां पर भगवान शिव बाबा अमरनाथ के नाम से प्रसिद्ध हैं। इस कथा को एक कबूतर के जोड़े ने भी सुना था और ऐसी मान्यता है कि वह जोड़ा अमर है और आज भी इस जोड़े के दर्शन कर भक्तजन अपने आप को सौभाग्यशाली मानते हैं।

इस स्थान पर हजारों वर्षों से बाबा अमरनाथ जी के दर्शन करने के लिए यात्रा चलती आ रही है जो प्रत्येक वर्ष श्रावण पूर्णिमा को सम्पन्न होती है। पूरे भारत से ही नहीं तो विश्वभर से तीर्थ यात्री भगवान अमरनाथ की पावन गुफा व हिम शिवलिंग का दर्शन कर अपने जीवन को धन्य करते हैं। 1991 के बाद यहां आने वाले यात्रियों की संख्या बढ़ना शुरू हुई और यात्रा का समय भी बढ़ाकर एक महीना किया गया।

यह यात्रा अत्यंत कठिन भी है। चंदनवाडी से 35 कि.मी. पैदल मार्ग का रास्ता अत्यन्त ही कठिन है। बीच–बीच में बहुत संकरा भी है। बर्फ के गलेशियर आते हैं, नदी पार करनी पड़ती है और दो दिन में तीर्थयात्री पावन गुफा पर पहुंचते हैं। दूसरा रास्ता बालटाल से जाता है, जहां से अमरनाथ गुफा जाने के लिए 12 कि.मी. का गलेशियरों से भरा पैदल मार्ग है जो अत्यन्त कठिन होने के साथ–साथ खतरनाक भी है।

यात्रा का सारा नियंत्रण सरकार के द्वारा होता था लेकिन उसके कुप्रबंधन तथा अव्यवस्था के चलते 1996 में आए बर्फानी तूफान के कारण सैकड़ों श्रद्धालु मारे गये। यात्रा आतंकवादियों के आक्रमण का भी निशाना बनी। तब राज्य सरकार इस सकते में आ गई कि यात्रा कि यात्रा के आयोजन के लिए उसके पास पर्याप्त सुरक्षा–व्यवस्था नहीं है। तब सरकार ने श्री अमरनाथ यात्रा की सुरक्षा–व्यवस्था, प्रबंधन आदि के अध्ययन के लिए ''नितीश सेन कमेटी'' का गठन किया। इस कमेटी ने अपने सुझाव देते हुए कहा कि यात्रा पथ को और चौड़ा किया जाए, यात्रा की समयावधि बढ़ाई जाए, यात्रियों की निर्धारित संख्या प्रतिदिन निश्चित की जाए तथा यात्रा मार्ग में स्थान–स्थान पर अस्थायी आवासों का निर्माण हो।

इन्हीं सुझावों को ध्यान में रखते हुये यात्रा सुचारू रूप से चले और तीर्थ यात्रियों को समुचित सुरक्षा एवं सुविधा मिले और वह ठीक ढंग से पावन अमरनाथ गुफा में दर्शन, पूजन, अर्चन कर सकें इसके लिए वर्ष दो हजार में जम्मू–कश्मीर की विधानसभा ने प्रस्ताव पारित करके जम्मू एवं कश्मीर श्री अमरनाथ जी श्राईन एक्ट, 2000 के तहत ''श्री अमरनाथ श्राईन बोर्ड'' का गठन किया गया। राज्यपाल अगर हिन्दू हैं तो वह इस बोर्ड के पदेन अध्यक्ष होंगे और अगर राज्यपाल हिन्दू नहीं हैं तो उनके द्वारा नामांकित हिन्दू व्यक्ति बोर्ड का अध्यक्ष होगा। राज्यपाल समेत इस बोर्ड के सदस्य दस से ज्यादा नहीं हो सकते। नौ सदस्यों की घोषणा

राज्यपाल अपनी इच्छा से करते हैं जिनमें दो सदस्य हिन्दू धर्म और संस्कृति से जुड़े हुये होते हैं। दो महिला सदस्य भी हिन्दू धर्म और संस्कृति से जुड़ी हुई और महिला उत्थान के कार्य में लगी हुई, तीन सदस्य जो प्रशासन, कानूनी और वित्तीय स्थिति को देखने वाले और दो सदस्य जम्मू कश्मीर राज्य से प्रमुख हिन्दू के नाते से बोर्ड के सदस्य होते हैं।

श्रीअमरनाथ श्राईन बोर्ड अपने गठन से ही यात्रा को सुचारू और व्यवस्थित रूप से चला रहा था और प्रति वर्ष यात्रियों की संख्या भी बढ़ रही थी। वर्ष 2004 में यात्रा की अवधि भी एक महीने से बढ़ाकर दो महीने की कर दी गई थी। हालांकि इस विषय पर राज्य सरकार से बोर्ड की भी कुछ टकराहट भी हुई थी। लेकिन यात्रा ठीक ढंग से चलती रही। यात्रियों को ठीक ढंग से सुविधा मिले, उनके ठहरने के लिए शेड, शौचालयों की व्यवस्था बनें इसके लिए बोर्ड ने 2002 में राज्य सरकार से जमीन मांगी थी। यह मांग सन् 2003 में तत्कालीन मुख्यमंत्री मुफ्ती मोहम्मद सईद की आंख की किरकिरी बन गई। कट्टरपंथी मुख्यमंत्री कभी भी यह जमीन अमरनाथ श्राईन बोर्ड को देने के हक में नहीं थे। कभी पर्यावरण तो कभी वन विभाग की मजबूरियों का वास्ता दिया गया। सरकार बदली। प्रक्रिया चलती रही। वर्ष 2007 के अंत में बोर्ड ने दोबारा एक प्रस्ताव राज्य सरकार को भेजा जिसमें बालटाल में 800 कनाल जमीन देने का आग्रह किया गया।

मई 2008 में राज्य सरकार ने मंत्रीमण्डल में यह प्रस्ताव रखा जिसमें कांग्रेस, पीडीपी एवं पीपुल्स डेमोक्रेटिक फ्रंट के मंत्री शामिल थे। पीडीपी के मंत्रियों ने ही यह जमीन श्राईन बोर्ड को देने का प्रस्ताव पारित किया। मंत्रीमंडल ने सर्वसम्मति से इस प्रस्ताव को स्वीकार किया और श्राईन बोर्ड को 800 कनाल जमीन बालटाल में दी। परन्तु कुछ शर्तें भी इसके साथ जोड़ दी गईं –

1. श्राईन बोर्ड इस भूमि के बदले 2 करोड़ 31 लाख, 30 हजार 4 सौ रूपये अदा करे।
2. श्राईन बोर्ड को भूमि अस्थाई तौर पर दी गई है और यात्रा समाप्ति के बाद यह जमीन स्वतः वन विभाग के अधीन आ जायेगी।
3. श्राईन बोर्ड इस भूमि पर अस्थाई निर्माण ही कर सकता है।
4. श्राईन बोर्ड इस भूमि पर से कोई पेड़ नहीं काट सकता तथा जितने पेड़ है उसमें नये पेड़ और लगायेगा।

श्राईन बोर्ड ने इन सब शर्तों को स्वीकार किया। सभी विभागों ने जिनमें पर्यावरण तथा वन विभाग भी अनापत्ति प्रमाण पत्र (No Objection Certificare) जारी कर दिये।

सरकार ने गर्वनमेंट आर्डर नम्बर 184 दिनांक 26–5–2008 को एक आदेश जारी किया जिसमें मंत्रीमण्डल निर्णय 947 दिनांक 20–5–2008 का जिक्र करते हुये लिखा कि ''सिंध फारेस्ट डिवीजन'' की 39.88 हैक्टेयर जमीन श्रीअमरनाथ श्राईन बोर्ड को बालटाल और दोमेल में भवन और ढांचा बनाने के लिए दी जाती है। रांगा से बालटाल के लिए 9 हैक्टेयर तथा बालटाल में शिविर बनाने के लिए 30.88 हैक्टेयर जमीन दी गई। इसमें एक शब्द Diversion का प्रयोग किया गया कहीं भी

Sale या Transfer शब्द का इस्तेमाल नहीं किया गया। इससे सरकार की नियत पर शक होना लाजमी था।

पीडीपी के नेता यह सहमति देने के बाद कुछ सोचने पर मजबूर हुये। उन्हें लगा कि शायद कहीं कोई गलती हो गई है। लेकिन बोर्ड को जमीन देने के बारे में स्वीकृति तो इन लोगों ने स्वयं ही दी थी। अब क्या किया जाये? उन्होंने इसके लिए कांग्रेस और अलगाववादियों को आगे कर दिया। और शुरू हो गया श्रीनगर में आतंकियों और अलगाववादियों का प्रदर्शन। जगह–जगह नारे बाजी होने लगी, भीड़ का संचालन अलीशाह गिलानी जैसे अलगाववादी नेता करने लगे। मीरबाईज फारूख साथ देने लगे। कश्मीर में पाकिस्तानी झण्डे सरेआम पुलिस की नाक के नीचे लाल चौक और अन्य महत्वपूर्ण स्थानों पर फहराये जाने लगे। पाकिस्तान जिन्दाबाद हर तरफ गूंजने लगा। मस्जिदों में भड़काऊ भाषण जलती आग पर तेल की तरह काम करने लगे। साम्प्रदायिकता और मुस्लिम कट्टरवाद की आग को भड़काया जाने लगा क्योंकि यात्रा शुरू होने के दिन नजदीक आने लगे। अलगाववादी नहीं चाहते थे कि यात्रा ठीक से सम्पन्न हो।

इस बीच पीडीपी और कांग्रेस की सरकार ने अलगाववादी और कट्टरवादियों को खुश करने के लिए नेशनल कांफ्रेंस को भी अपना भागीदार बनाने की चाल चली। सरकार ने 6 मई, 2008 को नेशनल कांफ्रेंस के नेता मुस्तफा कमाल की अध्यक्षता में जो कमेटी बनाई थी उसने 11 जून, 2008 को पर्यावरण का वास्ता देकर हिन्दुओं की भावनाओं से खिलवाड़ करते हुये यात्रा की अवधि को कम करने की सिफारिश की। इस कमेटी ने यह भी कहा कि इस यात्रा से स्थानीय व्यापारियों को कोई लाभ नहीं होता तथा सिन्धु और लिददर नदियां प्रदूषित होती हैं। इस कमेटी की सिफारिशों से कश्मीरियों के प्रदर्शन बढ़ने लगे। कांग्रेस, पीडीपी और नेशनल कांफ्रेंस तीनों ने अलगाववादी और आतंकवादियों का सहारा लेते हुये इस प्रदर्शन को उग्र रूप देना शुरू कर दिया।

अत्यंत खतरनाक साजिश रची गई। अलगाववादी नेता मीरवाईज उमर फारूख, तहरीके हुर्रियत के नेता सईद गिलानी, जम्मू–कश्मीर लिबरेशन फ्रंट के यासिन मलिक, डेमोक्रेटिक पार्टी के शबीर शाह सरीखे नेता कांग्रेस और पीडीपी की शह पर आपसी मतभेद भुला कर खुलेआम देशद्रोह की बाते करते हुये यह जमीन सरकार को वापिस लेने के लिए दबाव बनाने लगे।

सरकार इनके साथ थी। इन्हें खुली छूट दी गई। सरकारी सम्पति निशाना बनने लगी। पाकिस्तान जिन्दाबाद के नारे लगने लगे। पाकिस्तानी झण्डे सरेआम लाल चौक और अन्य स्थानों पर फहराये जाने लगे। लेकिन पुलिस तो प्रदर्शनकारियों की सुरक्षा के लिए तैनात की जाती थी न कि उनको रोकने या खदेड़ने के लिए। ऐसा कांग्रेस और पीडीपी की महबूबा की शह पर किया जा रहा था।

पीडीपी ने एक और चाल चलते हुये अपने नेता और प्रदेश के उपमुख्यमंत्री मुजफ्फर बेग से यह बयान दिलवा दिया कि राज्यपाल के सचिव अरूण कुमार इस्लाम विरोधी हैं। इस पर ही बस नहीं हुई उलटे अरूण कुमार पर कश्मीर का वातावरण बिगाड़ने और कश्मीरियों को बदनाम करने के खिलाफ अदालत में केस

दर्ज करवा दिया। श्री अरूण कुमार पर पीडीपी के जनरल सेक्टरी ने एफआईआर भी दर्ज करवाई। ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि श्री अरूण कुमार नेशनल कांफ्रेंस के नेता मुस्तफा कमाल द्वारा की गई सिफारिश के खिलाफ बोले थे।

वास्तव में पीडीपी और कांग्रेस अलगाववादी और आतंकवादियों के ऐजेंडे पर काम करना चाहती थी और कश्मीर में फिर से 1988–89 की स्थिति बनाकर वहां से भारत तथा भारतीय चिन्हों को समाप्त करना चाहती थी। मसला केवल 800 कनाल जमीन का नहीं इसकी आड़ में अलगाववादी सेना और अर्धसैनिक बलों द्वारा प्रयोग की जा रही आठ लाख कनाल जमीन से सेना और अर्धसैनिक बलों को हटाना चाहते हैं। पीडीपी खुलकर सामने आई और उसने सरकार से अपना समर्थन वापिस लेते हुये मंत्रीमण्डल से इस्तीफा दे दिया।

25 जून, 2008 को राज्य के नये राज्यपाल एन.एन. वोहरा ने जम्मू–कश्मीर में कदम रखा। श्री वोहरा वह व्यक्ति हैं जो भारत के गृह सचिव रहते हुये कई बार तथाकथित शांति वार्त्ता में भाग ले चुके हैं। इसलिए उनके अलगाववादी नेताओं से काफी निकट के संबंध हैं। उनके आते ही एन.सी., पीडीपी व कांग्रेस के नेताओं ने उन्हें घेर लिया। उमर अब्दुल्ला, महबूबा मुफती ने कश्मीर की तथाकथित खतरनाक परिस्थितियों का हवाला देते हुये स्वयं होकर उन्हें जमीन वापिस करने का सुझाव दिया। राज्यपाल ने उनके सुझाव को मानते हुये यात्रा की सुरक्षा और व्यवस्था सरकार को सौंप दी और केवल पवित्र गुफा में पूजा–पाठ का ही कार्य बोर्ड के पास रखा। जब सुरक्षा और व्यवस्था बोर्ड के पास नहीं रहीं तो जमीन की भी आवश्यकता नहीं रही और सरकार ने बोर्ड को दी जमीन का आबंटन रद्द कर दिया। बोर्ड का गठन विधानसभा में विशेष एक्ट के द्वारा हुआ था जिसमें स्पष्ट प्रावधान था कि यात्रा की सारी व्यवस्था बोर्ड करेगा। राज्यपाल ने वह सारी व्यवस्था सरकार को सौंप दी। विधानसभा में पारित एक्ट में राज्यपाल कोई बदल नहीं कर सकते ऐसा करके श्री वोहरा ने अपने राज्यपाल की गरिमा से तो मजाक किया ही और श्री अमरनाथ श्राईन बोर्ड के संविधान को ही नहीं नकारा बल्कि विधानसभा को भी नकारते हुये अपने कांग्रेसी मुख्यमंत्री के इशारे पर हिन्दू विरोधी कृत्य भी किया। जबकि श्राईन बोर्ड का अध्यक्ष कोई भी ऐसा निर्णय नहीं ले सकता। इस प्रकार के निर्णय लेने के लिए नौ सदस्यों में से पांच सदस्यों की सहमति होना अनिवार्य है। परन्तु श्री वोहरा ने सहमति लेना तो दूर की बात है बोर्ड के सदस्यों को सूचित भी नहीं किया। जो सरासर बोर्ड और जम्मू के लोगों से धोखा है।

सरकार ने मंत्रीमण्डल में प्रस्ताव पारित कर यात्रा पर्यटन विभाग को सौंप दी। सरकार और राज्यपाल के इस षड़यंत्र से अपनी आस्था और हिन्दू भावनाओं से खिलवाड़ होता देख जम्मू के लोगों में भयंकर रोष उत्पन्न हो गया। क्योंकि 1998 में नेकां के काले कारनामे जब कश्मीर के मुससलमानों को जम्मू के सिदड़ा में 623 कनाल वन विभाग की जमीन दी गई थी, 15 दिसम्बर 2004 को राजौरी में बाबा गुलामशाह बादशाह यूनिवर्सटी के लिए 4800 कनाल जमीन दी गई थी, सन् 2000 में कश्मीर के पंपोर में इस्लामी यूनिवर्सटी के लिए वन विभाग की जमीन दी गई थी, जम्मू के बठिडीं में वन विभाग के संरक्षकों, मंत्रियों, तथा आतंकवादियों

द्वारा हजारों कनाल जंगल की जमीन काट कर उस पर कब्जा कर लिया था तो किसी ने कोई आपत्ति नहीं जताई थी।

परन्तु सरकार के इस कृत्य के बाद जम्मू के लोगों का 67 साल से दबा हुआ गुस्सा जो चिंगारी के रूप में अंदर ही अंदर फैल रहा था, लावा बनकर फूट पड़ा। लखनपुर से लेकर रामबन तक, बनी बसोहली से लेकर पुंछ तक हिन्दू सारे मतभेद भुलाकर एक ही आवाज में सरकार के खिलाफ उठ खड़े हुये। शहरों से लेकर गांव–गांव तक सरकार और अलगाववादियों व आतंकवादियों की हिन्दू विरोधी नीतियों के खिलाफ प्रदर्शन शुरू हो गये। इस आंदोलन को चलाने के लिए श्रीअमरनाथ यात्रा संघर्ष समिति के नाम से जम्मू के प्रबुद्धजनों ने एक समिति स्थापित की।

22 जुलाई, 2008 को लोकसभा में विश्वास मत के दौरान जम्मू कश्मीर के एक सांसद के इस बयान ने, कि 'कश्मीर की एक इंच भूमि भी श्राईन बोर्ड को नहीं देंगे' जम्मू के वातावरण में आग में घी का काम किया। कुलदीप डोगरा नाम के एक व्यक्ति ने भरी सभा में जहर खाकर अपना शरीर त्याग दिया। कुलदीप डोगरा के शव के साथ प्रशासन ने अत्यधिक क्रूरता का व्यवहार किया। इस घटना ने जम्मू संभाग के लोगों को और भी कई गुना आन्दोलित होने को मजबूर कर दिया।

गांव–गांव से लोगों के जत्थे–के जत्थे–भारत माता की जय, बम–बम भोले के जयघोष लगाते हुये निकल पड़े। मानों लोगों ने सरकार के इस निर्णय के खिलाफ सारे बांध तोड़ दिये हों। प्रदर्शन के पहले दिन ही सरकार ने बेमियादी कर्फ्यू लगा दिया।

सरकार को यह पसंद नहीं आया। शांति पूर्ण प्रदर्शन करने वाले राष्ट्र भक्तों पर सीधे गोली बारी करके पहले ही दिन तीन युवकों को गम्भीर रूप से घायल कर दिया गया। जमकर लाठीचार्ज किया गया। आंसू गैस के गोले दागे गये। निर्दोष लोगों पर मुख्यमंत्री के भाई द्वारा ग्रेनेड से हमला करवाया गया जिसमें लगभग 20 लोग बुरी तरह घायल हो गये। इतने पर ही बस नहीं हुई जावेद आजाद ने अपने पीएसओ से प्रदर्शनकारियों पर फायरिंग करवाई जिसमें 35 लोग घायल हुये। जम्मू–कश्मीर पुलिस लोगों को जब मार–मार कर थक गई तो दिल्ली से रैपिड एक्शन फोर्स को बुलाकर जम्मू संभाग के लोगों को धमकाया जाने लगा।

तिरंगा फहराने वालों पर संगीन जुर्मो के अंर्तगत मुकदमे दायर किये गये ताकि आसानी से इनकी जमानत न हो सके। भारत माता की जय कहने पर घरों से निकाल–निकाल कर सरेआम पीटा गया, महिलाओं, वृद्धों और बच्चों को भी नहीं बक्शा गया। जम्मू के लखदाता बाजार में रमेश कुमार को पुलिस ने तीसरी मंजिल से नीचे फेंककर मार दिया। भद्रवाह में मंजीत सिंह मारा गया।

जम्मू शहर की मुट्ठी कालोनी में पुलिस ने घर में घुसकर महिलाओं और बच्चों को पीटना शुरू किया, खड़ी गाड़ियों के शीशे तोड़ दिए। रात के अंधेरे में गंगयाल इलाके में घुसकर महिला और बच्चों को पीटा, रात में अश्रु गैस के गोले घरों में दागे, पुलिस की इस कार्रवाई के विरुद्ध धारा 144 लगी होने के बावजूद बड़ी रैलियाँ और जुलूस निकले। आन्दोलन भी तेज होता गया, बाजार बन्दी भी क्रमिक रूप से बढ़ने लगी। जम्मू–कश्मीर तेल टैंकर एसोसिएशन ने तीन दिन के

लिए घाटी में पेट्रोल, डीजल की सप्लाई रोकने का एलान कर दिया। लोगों को दु:ख है कि जून, 2008 के अंतिम सप्ताह से प्रारम्भ हुआ जम्मू आन्दोलन जनान्दोलन बन गया। जम्मू क्षेत्र के प्रत्येक गांव और कस्बे तक फैल गया; परन्तु इस स्थिति को बिगाड़ने के लिए जिम्मेदार लोगों के विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं हुई। केन्द्र सरकार गहरी नींद में सोई रही। आन्दोलनकारी अच्छी तरह जानते हैं कि इस तरह के आन्दोलन से किन–किन को क्या–क्या कष्ट होता है। सरकारी अफसर यही समझते रहे कि आन्दोलन कुछ दिनों में अपनी मौत मर जायेगा। जनता सरकारी अधिकारियों की इस भावना को समझ रही है। आज यह लड़ाई स्वाभिमान और आस्था से जुड़ गई है। एक तरफ राष्ट्रविरोधी और दूसरी तरफ देशभक्त समाज है।

29 जुलाई, 2008 को सांबा कस्बे में मैन चौक पर संघर्ष समिति के धरने में कमलजीत चौधरी नाम के 48 वर्ष की एक व्यक्ति ने भगवान शिव की फोटो पर फूल अर्पित किए और वह नीचे गिर गया, अस्पताल ले जाने पर पता लगा कि वह फिनाईल पीकर आया था। लोगों ने संकल्प ले लिया कि जमीन वापसी के लिए उन्हें अपनी जान भी कुर्बान करनी पड़ी तो पीछे नहीं हटेंगे। सरकार जम्मू की बात सुनने को तैयार नहीं है। पुलिस की बर्बरता भी सीमाएँ लांघ रही है। पिछले एक सप्ताह की घटनाएँ बहुत ताजी हैं। सारे देश को मालूम है कि सरकार ने पत्रकारों के पास फड़वा दिए, मीडियाकर्मियों को मारा गया, स्थानीय चैनल बन्द करवा दिए गए, अघोषित आपातकाल जैसा माहौल बना दिया गया। अखबार बेचने वालों पर लाठीचार्ज किया गया। कठुआ, सांबा, जम्मू, पुंछ, राजौरी, ऊधमपुर, किश्तवाड, भद्रवाह कर्फ्यू के अधीन है, किन्तु जनता का रोष थमने का नाम नहीं ले रहा है। सरकार की दमनकारी नीति बढ़ते जाने से संघर्ष समिति ने अपना रूख और कड़ा करके बाजारबंदी को 08 अगस्त तक के लिए बढ़ा दिया है।

04 अगस्त को दोपहर सांबा में लोग तिरंगा लेकर मैन चौक की ओर आ रहे थे, पुलिस ने लाठीचार्ज किया, अश्रु गैस छोड़ी, तब लोगों ने पथराव किया। कई घण्टे संघर्ष चला पुलिस ने फायरिंग कर दी, संजीव सिंह और सन्नी पाधा नाम के दो युवक शहीद हो गए, 40 लोग घायल हैं, क्या इस प्रकार लोकतंत्र की रक्षा होगी ?

अमरनाथ यात्रा संघर्ष समिति के प्रस्ताव – 01. राज्याल को वापस बुलाओ। 02. श्रीअमरनाथ श्राईन बोर्ड को जमीन वापस दो। 03. अमरनाथ श्राईन बोर्ड को पूर्ण स्वायत्तता के साथ पुनः बहाल करो।

इस आंदोलन ने 61 साल से सरकार द्वारा जम्मू क्षेत्र से किये जा रहे जुल्म और भेदभाव का ही मुंहतोड़ जबाव दिया है। जम्मू में यह आंदोलन ऐतिहासिक आंदोलन के नाम से जाना जायेगा।

।। अमरनाथ संघर्ष समिति की ओर से प्रेषित।।